दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 27 जून, 1991 (आषाढ़ 6, 1913)
समय 10.30 बजे

1- प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2- अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (क्रमांक 3 सन् 1991) पटल पर रखेंगे.

3- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

1. श्री कैलाश जोशी ,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड भोपाल का त्रयोदश वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा वर्षान्त दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 पटल पर रखेंगे.

2. श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 पटल पर रखेंगे.

4- मार्च, 1991 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

5- नियम 267-क के अधीन मार्च, 1991 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

6- राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

7- प्रतिवेदनों की प्रस्तुति तथा स्वीकृति.

(1) श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि-
"सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है."

(2) श्री हरिसिंह नरवरिया, कार्यवाहक सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और प्रस्ताव करेंगे कि -
"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सप्तम प्रतिवेदन में निहित सिफारिशो से सहमत है."

8- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री राजेन्द्र पामभोई, सदस्य, बस्तर जिले के ग्राम संकनपल्ली में संक्रामक बीमारी से अनेक मौतें होने की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय/ललित जैन, सदस्य, इन्दौर जिले के ग्राम राऊ में डकैती की घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9- विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र.

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 73 - चुरहट से वर्ष 1990 के आम चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्री अर्जुन सिंह द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

10- सभापति तालिका की घोषणा.

11- शासकीय विधि विषयक कार्य.

निर्धारित समय 30 मिनिट

श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1991 (क्रमांक 10 सन् 1991) का पुरः स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

12. वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक का उपस्थापन

3 बजे दिन — श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक का उपस्थापन करेंगे.

भोपाल :

दिनांक 26 जून, 1991

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.